झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-05

तृतीय सत्र
गुरुवार, दिनांक-27 अगस्त, 2015 ई०।
समय-11.00 बजे पूर्वा० से 04.00 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी एवं अन्य माननीय सदस्यों ने झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा से सीसैट (Civil services aptitude test) व्यवस्था को समाप्त किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

ii- माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा आरोप लगाया गया कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एक आरोपी के घर पर गये जो एक गम्भीर विषय है, इसलिए इसपर निन्दा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, इनका समर्थन माननीय सदस्य, सर्वश्री निर्भय कुमार शाहाबादी, अनन्त कुमार ओझा, राम कुमार पाहन, हरिकृष्ण सिंह, लक्ष्मण टुडू एवं अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया,

iii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन से आग्रह किया कि जो व्यक्ति सदन के सदस्य नही हों उनपर चर्चा किया जाना अनुचित है। जिस व्यक्ति पर केवल एफ.आई. आर. हुआ हो वह दोषी नही हो सकता है,

iv- माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा कुछ कहे जाने पर भारी शोर-शराबा होने लगा।

2.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा से सीसैट (Civil services aptitude test) व्यवस्था को समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की सूचना सदन को दी गयी।

(इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एवं कॉंग्रेस पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य सीसैट के विरोधस्वरूप सदन की वेल मे आकर नारेबाजी करने लगे। तत्पश्चात् वही धरने पर बैठ गये।)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने किसी भी विषय को नियमानुसार सदन मे लाये जाने हेतु विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया।

आसन के आग्रह पर माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये।

कु०पु०उ०

3.आसन से नियमन:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत स्थायी आदेश-08 के तहत उपर्युक्त विषय को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में दिये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री योगेन्द्र प्रसाद को आसन द्वारा निदेश दिया गया जिसपर दिनांक-28.08.2015 को चर्चा कराये जाने हेतु उन्हें आश्वस्त किया गया। लेकिन, माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव इसपर विशेष चर्चा कराये जाने की माँग करने लगे।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र में बहुमत का आदर किये जाने की बात दुहरायी गई।

(इस अवसर पर पुनः झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एवं कॉंग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन की बेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

(भारी शोरगुल)

सदन में अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए कार्यवाही 12.00 बजे मध्या० तक (11.35 पूर्वा से 12.00 बजे मध्या०) स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया तत्पश्चात् शून्यकाल पुकारा गया परन्तु, पूर्व की भाँति माहौल कायम हो गया और विपक्ष के माननीय सदस्य सदन की बेल में आगर नारेबाजी करने लगे। पुनः अव्यस्था के माहौल को देखते हुए 12.45 बजे अप० तक (**12.15 बजे अप० से 12.45 अप०**) के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(भारी शोरगुल)

4.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 14 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-14 एवं स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, झारखण्ड सरकार, जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन पटल पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा उपस्थापित किया गया।

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 238 में किये गये उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा। उन्होंने प्रस्ताव किया कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

यह प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

5.सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

i- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता द्वारा पर्यटन विकास समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

कृ० पृ०उ०

ii- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री फुलचन्द मण्डल द्वारा सदाचार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

6.सूचना का दिया जाना:-

आसन के निदेश से माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ने दिनांक-26.08.2015 को पारा शिक्षकों के साथ हुई सकारात्मक वार्ता से सदन को अवगत कराया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

7.विधायी कार्य:-

i- बिहार और उडीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री अमर बाऊरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

बिहार और उडीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii- झारखण्ड सहकारी सोसाईटी (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड सहकारी सोसाईटी (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

iii- झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड-15, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

iv-झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

v- झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

vi-झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड-22 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(क्र० प्र० ३३)

vii-झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड-54, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

viii-झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण विधेयक, 2015

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ix-झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक- 28.08.2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रांची,
दिनांक-27 अगस्त, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।